<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
(शैक्षिक अनुभाग)

फा.सं-1-2/ एमएससी/वजीफा/ 2025-शैक्षिक II दिनांक: 04.12.2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: एम्स, नई दिल्ली में एम.एससी. नर्सिंग (सभी विशिष्टताएँ) छात्रों का वजीफा आरंभ करने के <u>प्रस्ताव पर विचार करने संबंधी।</u>

अधोहस्ताक्षरी को एम्स, नई दिल्ली में एम.एससी. नर्सिंग छात्रों के लिए वजीफा आरंभ करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को सूचित करने का निदेश हुआ है। अब से, एम्स, नई दिल्ली में एम.एससी. नर्सिंग छात्रों (विभिन्न विशिष्टताओं में दो वर्ष का एम.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम करने वाले) को तत्काल प्रभाव से प्रतिमाह 15,000/- रुपये (पंद्रह हज़ार रुपये केवल) का वजीफा प्रदान किया जाएगा।

एम्स, नई दिल्ली में एम.एससी. नर्सिंग (किसी भी विशिष्टता में) पाठ्यक्रम करने वाले सेवारत उम्मीदवार/विदेशी नागरिक/प्रायोजित उम्मीदवार वजीफे के हकदार नहीं होंगे।

आगे यह भी बताया जाता है कि सभी एम.एससी. नर्सिंग विशिष्टता/पाठ्यक्रम के लिए एक सेवा एवं अनुसंधान घटक होगा। संबंधित विभाग के संकाय-सदस्य द्वारा संरचित सेवा संबंधी घटक का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और यह प्रमाणित किया जाएगा कि इस कार्य को निष्पादित किया गया है।

<u>वजीफे को उचित ठहराने के लिए सेवा एवं अनुसंधान घटक को प्रलेखित करने हेतु एक लॉगबुक का</u> आवश्यक रूप से अनुरक्षण करना होगा।

<u>प्राधिकरण:-</u>

1. शासी निकाय द्वारा दिनांक 12.09.2025 को आयोजित बैठक में कार्यवृत्त की मद संख्या 163/03 द्वारा अनुमोदित।
2. स्थायी वित्त समिति द्वारा दिनांक 18.07.2024 को आयोजित बैठक में कार्यवृत्त की मद संख्या 228/04 द्वारा अनुमोदित।
3. स्थायी शैक्षिक समिति द्वारा दिनांक 09.11.2023 को आयोजित बैठक में कार्यवृत्त की मद संख्या 122/05 द्वारा अनुमोदित।

प्रो. गिरिजा प्रसाद रथ
कुल-सचिव

<u>वितरण:</u>

1. निदेशक, एम्स/ संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/ अपर निदेशक (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव
2. सभी केंद्र प्रमुखगण तथा विभागाध्यक्षगण
3. प्रधानाचार्य, नर्सिंग कॉलेज, एम्स, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/उप-सचिव/वित्त सलाहकार (एम्स)
5. सहायक परीक्षा नियंत्रक (परीक्षा)
6. कंटेंट प्रोवाइडर (द्वारा: प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा) कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा सभी विभागाध्यक्षगण/केंद्र प्रमुखगण एवं विभागों के ईमेल पर सूचना भेजें।

EO-2280919

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029
(ACADEMIC SECTION)

No.F-1-2/MSc/Stip/2025-Acad.II Dated: 04.12.2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: To consider the proposal for starting the stipend to M.Sc. Nursing (All specialties) Student at AIIMS, New Delhi.

The undersigned is directed to convey the approval of the Competent Authority for starting the stipend for the M.Sc. Nursing students at AIIMS, New Delhi. Henceforth, a stipend of Rs. 15,000/= (Rupees Fifteen Thousand only) per month shall be paid to M.Sc. Nursing Students (pursuing a two-year M.Sc. Nursing course in various specialities) at AIIMS, New Delhi, with immediate effect.

In-service candidates/Foreign National/Sponsored candidates pursuing M.Sc. Nursing (in any speciality) course at AIIMS, New Delhi shall not be entitled to a stipend.

It is further noted that there shall be a service and research component for all M.Sc. Nursing specialities/courses. The structured service component shall be regularly evaluated by the faculty of the concerned department, and it shall be certified that such work has been carried out.

A logbook must be maintained to document the service and research component to justify the stipend.

Authority: -

1. Approved by Governing Body in its meeting held on 12.09.2025 vide agenda item no.163/03.
2. Approved by Standing Finance Committee in its meeting held on 18.07.2024 vide agenda item 228/04.
3. Approved by Standing Academic Committee in its meeting held on 09.11.2023 vide agenda Item No.122/05.

Prof. Girija Prasad Rath
REGISTRAR

Distributions:-

1. PPS/PS to Director, AIIMS/Dean (Academics)/Addl. Director (Admin.)
2. All Chief of the Centre's and Head of the Department's
3. The Principal, College of Nursing, AIIMS, New Delhi.
4. The Sr. Financial Advisor/DS/Financial Advisor (AIIMS)
5. The ACE (Exams)
6. The Content Provider (Thr: PIC, CF) to kindly upload the same in AIIMS website & circulate the notification to the all HOD's/CoC's and Department mail.